रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930
No. 422] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

का.आ. 782(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए । तदनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2008 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाईयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांजिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दोनों गुटों के मध्य अत्यधिक पारस्परिक शत्रुता लगातार बनी हुई है और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है ।

4. केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किए जाने को 1 अप्रैल, 2008 से और छह (06) माह की अवधि के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2008

S.O. 782(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991, *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, *inter alia,* that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2008.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The

National Socialist Council of Nagaland (Issac/ Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Secutity Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for transshipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued and is vitiating the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.